Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 31-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 1, 2017 (SRAVANA 9, 1939 SAKA)

General Review

पर्यावरण विभाग, हरियाणा की वर्ष 2015–2016 की प्रशासकीय रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 21 जून, 2017

क्रमांक डी०ई०एच०/2017/1060 .—

पर्यावरण विभाग का मुखिया निदेशक, पर्यावरण विभाग हरियाणा है, जोकि आमतौर पर सचिव हरियाणा सरकार की श्रेणी का है । वह सरकार की तरफ से भी कार्य देखता है । एक संयुक्त निदेशक एवं तीन वैज्ञानिक ग्रेड–1 अधिकारी तकनीकी व दिन प्रति दिन के कार्य में उनकी सहायता करते हैं। विभाग द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण और स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाऐं लागू की गई हैं ।

1. मुख्यालय और रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना

पर्यावरण विभाग ने रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना की है ।

2. विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना

राज्य सरकार ने विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में विभिन्न पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत मामलों के निपटान हेतू की हैं।

3. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 21.08.2015 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण अनुमोदन समिति तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) का गठन पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के तहत कैटगरी 'बी' की परियोजनाऔं को पर्यावरणीय मन्जुरी देने हेतु किया है ।

4. पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरण विभाग सेमिनार व कार्यशाला आयोजन के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के जोखिमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास कर रहा है।

5. हानिकारक/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

औद्योगिक इकाईयों द्वारा छोड़े गये अपशिष्ट ठोस के सुरक्षित निपटान के लिए गांव पाली जिला फरीदाबाद में निपटान स्थल विकसित किया गया है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2016–17 से बंद कर दी गई है।

6. इको क्लब की स्थापना

पर्यावरण विभाग ने इको क्लब की व्यवस्था के अन्तर्गत 2850 स्कूलों में राष्ट्रीय हरित सेना क्लबों की स्थापना की है जिनको राज्य के 21 जिलों में बढ़ाकर 5250 कर दिया गया है।

7. हरियाणा राज्य मे मलजल शोधन संयंत्र

राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत अविकसित और नये विकसित शहरों और उद्योगों के समुहों के लिए मलजल शोधन संयंत्र के स्थापना हेतु वित्तिय सहायता देता है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2016–17 से बंद कर दी गई है।

8. घग्गर और मारकण्डा कार्य योजना

राज्य में केवल दो नदियाँ घग्गर और मारकण्डा प्रवाहित हो रही हैं। यमुना नदी पहले से ही भारत सरकार के यमुना एक्शन प्लान में शामिल हो चुकी है । घग्गर और उसकी सहायक नदी मारमण्डा के पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, इन पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है । यह स्कीम वित्त वर्ष 2016–17 से बंद कर दी गई है।

9. गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक इकाईयों व समाज के विभिन्न वर्गो में पर्यावरणीय जागरुकता और ज्ञान पैदा करना है। यह स्कीम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पंचकुला के समन्वय से चलाई जा रही थी।

10. हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड

जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्य सरकार ने पर्यावरण विभाग में अधिसूचना दिनांक 14.11.2006 के द्वारा हरियाणा जैव विविधता बोर्ड का गठन किया। वित्त वर्ष 2016–17 में दिनांक 24.02.2016 से यह स्कीम वन विभाग, हरियाणा को स्थानान्तरित कर दी गई है।

11. सामूहिक जैव मैडिकल अपशिष्ट के निपटारण और निस्तारण सुविधा

यह योजना जैव मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तालन) नियम, 1998 को उपयुक्त रूप से लागू करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.7.1998 के अन्तर्गत बनाई गई। यह स्कीम वित्त वर्ष 2016–17 से बंद कर दी गई है ।

12. सी.एफ.एल./एफ.टी.एल.एस. से दूषित पारा को पूर्णचक्रित करने की सुविधा

यह योजना वर्ष 2009 में फयूजड./निपटारा किये गये सी.एफ.एल./एफ.टी.एल.एस. के उचित तरीके से परिवहन, एकत्रीकरण, निपटान और पुर्नचक्रण के लिए बनाई गई । यह स्कीम वित्त वर्ष 2016–17 से बंद कर दी गई है ।

13. प्लास्टिक की थैलियों को बनाने व उनके उपयोग पर प्रतिबंध

हरियाणा राज्य ने नवीनतम अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2011 के द्वारा प्लास्टिक की थैलियों के बनाने, बेचने व प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

14. जलवायु परिवर्तन डिविजन/सैल

भारत के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जारी राष्ट्रीय मौसम परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.पी.सी.सी.) में प्रस्तावित लक्ष्यों को लागू करने के लिए विभाग में मौसम बदलाव सैल का गठन वर्ष 2008 में किया गया था ।

15. सांझा जल प्रवाह संशोधन संयन्त्र को बढावा देना

पानीपत के सैक्टर–29, पार्ट–2 में रंगााई के लिए के लिए एक सांझा जल प्रवाह संशोधन संयन्त्र स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह स्कीम वित्त वर्ष 2016–17 से बंद कर दी गई है ।

16. विकास परियोजनाओं का पर्यावणीय प्रभावपूर्ण मूल्यांकन

वर्ष 2015–16 के दौरान इस स्कीम के लिए रु 20.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी । जिसमें से विकास परियोजनाओं के अध्ययन के लिए कोई भी राशि खर्च नहीं की गई थी । यह स्कीम वित्त वर्ष 2016–17 से बंद कर दी गई है ।

17. चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना

वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कोई भी चौकसी जांच नहीं की गई ।

दिनांक 16–3–2017.

के० के० खण्डेलवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।

Review of Administrative Report of Environment Department, Haryana for the Year 2015-2016

The 21st June, 2017

No. DEH/2017/1060.—

Environment Department is headed by Director, Environment who is in the rank of Secretary to Government of Haryana, generally, the work of Government side is also looked after by him. He is assisted by one Joint Director and 3 Scientist Grade-1 for technical as well as day-to-day work. The various schemes for the control of Pollution and maintenance of clean environment are implemented by the Department.

[1] Setting up of Head-Quarter and Referral Laboratory Scheme:-

The Environment Department has set up Referral Laboratory.

[2] Setting up of Special Environment Courts

The State Government has set up Two Special Environmental Courts at Faridabad and Kurukshetra for disposal of cases pertaining to various environmental Acts.

[3] State Environment Impact Assessment Authority:

The MoEF, GOI *vide* notification dated 21.08.2015 constituted a State Level Environment Appraisal Committee and State Level Environment Impact Assessment Authority for giving environmental clearance to Category 'B' Projects under EIA Notification dated 14.09.2006.

[4] Environment Training Education and Awareness Programme:

The Environment Department is making efforts to create awareness against the hazards of environment pollution by organizing seminars & workshops

[5] Hazardous Waste/Solid Waste management Scheme.

Hazardous Waste disposal site is being developed at Village Pali District. Faridabad for safe disposal of hazardous waste generated, by the industries. This Scheme has been discontinued from financial year 2016-17.

[6] Setting up of Eco-Clubs:

The Environment Department has established the National Green Corps under the Mechanism of Eco-Clubs in 2850 schools, which was raised upto 5250 Eco-Clubs in 21 District of the State.

[7] Sewerage Treatment Plant in Haryana State.

The State Government is providing financial assistance for establishing Sewerage Treatment Plant for undeveloped and newly developed cities and clusters of industries. This Scheme has been discontinued from financial year 2016-17.

[8] Ghaggar and Markanda Action Plan.

Only two rivers Ghaggar and Markanda are running in the State River Yamuna has already been included in Yamuna Action Plan of Government of India. To preserve the quality of water in the river Ghaggar and its tributary Markanda, it is regularly monitored by Haryana State Pollution Control Board. This Scheme has been discontinued from financial year 2016-17.

[9] Setting up of Environment Training Institute at Gurgaon.

The main aim of Environmental Training Institute object is to promote environmental awareness in Govt. employees, various section and industrial sector of the society. The scheme was started by State Government in collaboration with HSPCB, Panchkula.

[10] Haryana State Bio-Diversity Board:

In pursuance of Biological Diversity Act, 2002, State Government in the Environment Department *vide* notification, dated 14.11.2006 had constituted Haryana State Biodiversity Board. This scheme was transferred to forest department w.e.f. 24.02.2016.

[11] Common Bio-Medical waste management and Treatment Facility:

This scheme was created for proper implementation of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 notified under Ministry of Environment and Forests, Government of India notification dated 20.07.1998. This Scheme has been discontinued from financial year 2016-17.

[12] Recycling facility for Mercury Contamination from CFL/FTLS:

This scheme was started in the year 2009 for proper system of transportation, collection, disposal, and recycling of the fused/disposed of CFL/FTLs. This Scheme has been discontinued from financial year 2016-17.

[13] Ban on manufacture and usage of recycled plastic carry bags / containers.

As per the latest notification dated 3rd January, 2011 the State Government has imposed a complete ban on the manufacturing, selling and using of all plastic carry bags.

[14] Creation of Climate Change Cell

This scheme was started in the year 2008 for implementation of the missions as prescribed in the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) released by the Hon'ble Prime Minister of India.

[15] Promotion of Common effluent Treatment Plants

Efforts are being made to set up the CETP in Sector-29, Part-II, Panipat for dyeing units also. This Scheme has been discontinued from financial year 2016-17.

[16] Environment Impact Assessment of Development Project

During the year 2015-16 an amount of Rs.20.00 lakhs were sanctioned for this scheme. No funds were utilized to carry out EIA study of development projects. This Scheme has been discontinued from financial year 2015-16.

[17]. Information in respect of Vigilance Department

No vigilance inquiry has been conducted against any officer/ official during the year 2015-16.

Dated: 16-03-2017.

K. K. KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana.
Environment Department.

55523—C.S.—H.G.P., Chd.